फार्म नं. – III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

न्यायालय **जिला कलक्टर** **मुकाम** **अनूपगढ़**

मु. केसर(मृतक) मंदर सिंह आदि **बनाम** सरकार आदि

अन्तर्गत धारा 151 सिविलि प्रक्रिया संहिता नम्बर 17 वर्ष 2024

जी.सी.एम.एस. नं. : 2024 / 32

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
21.03.2024	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरीचन्द अरोड़ा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता मय शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ एवं प्रार्थना पत्र आ. 22 नि. 4 व धारा 151 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर एडमिशन बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी। प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 166/2023 अनवान केसर बनाम सरकार आदि में पारित निर्णय दिनांक 29.02.2024 को अपास्त किये जाने के अनुतोष के आधार पर पेश किया हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी एडमिशन बहस में निवेदन किया गया हैं कि आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत 90 दिवस की अवधि में मृतक पक्षकार के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किए जाने हेतु आवेदन किया जाना होता हैं प्रकरण में 90 दिवस नहीं हुए थे। मियाद सूचना से प्रारम्भ होनी थी। मूल प्रार्थना धारा 13ए राज. उप. अधि. का था, जो कि अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया चुका हैं। प्रार्थना पत्र उपशमन नहीं हुआ था। उपशमन को अपास्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में 60 दिवस की अवधि पृथक से निर्धारित हैं। अतः प्रार्थना पत्र अपास्त करने में माननीय न्यायालय द्वारा विधिक भूल हुई है, प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पत्रावली पुनः रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक दृष्टांतो की छायाप्रतियां प्रस्तुत की। बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया एवं न्यायालय की पत्रावली प्र.सं. 166/23 केसर आदि बनाम सरकार आदि अन्तर्गत आ.9नि. 9 व धारा 151 सीपीसी निर्णय दिनांक 29.02.2024 का अवलोकन किया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय 29.02.2024 को प्रकरण इस आधार पर खारिज किया हैं कि प्रकरण में अप्रार्थी सं. 2/1 की मृत्यु दिनांक 29.09.2019 को हो जाने की सूचना अप्रार्थी अधिकवक्ता के द्वारा दिनांक 02.01.2024 को दे दी गई थी, लेकिन दिनांक 29.02.2024 तक प्रार्थीगण के द्वारा मृतक अप्रार्थी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु एवं मियाद माफी हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया। इसके अतिरिक्त प्रकरण में लम्बित प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आ. 2–151 सीपीसी के साथ शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिस आधार पर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि प्रार्थीगण प्रकरण के संबंध में गम्भीर नहीं है ना ही प्रकरण में कोई विशेष रूचि रखते हैं। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र दिनांक 29.02.2024 को खारिज किया गया।	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.06.13 17:51:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया हैं कि पूर्ववर्ती न्यायालय में मूल प्रकरण सं. 14/2015 अन्तर्गत 13ए राज.उप.अधि. प्रार्थी की अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 24.08.2017 को खारिज किया गया, जिसे पुनः पत्रावली में लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 121/17 अन्तर्गत आ.9नि.4 व धारा 151 सीपीसी का दायर किया गया जो दिनांक 10.10.2017 को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात प्रकरण पुनः अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 16.06.2022 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 16.06.2022 को अपास्त कर पत्रावली पुनः रिकार्ड पर लिये जाने हेतु पूर्ववर्ती न्यायालय में प्रार्थना पत्र आ. 9 नि. 9 व धारा 151 सीपीसी प्र.सं. 48/23 प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली बाद हस्तांतरण इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्र.सं. 166/2023 दर्ज की गयी। उक्त प्रकरण सं. 166/2023 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.02.2024 के द्वारा खारिज कर दिया गया। हस्तगत पत्रावली उक्त प्र.सं. 166/23 में पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 को अपास्त कर मूल पत्रावली की पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

इसके अतिरिक्त प्र.सं. 166/2023 में दिनांक अप्रार्थी सं. 2/1 की मृत्यु दिनांक 29.09.2019 को हो जाने की सूचना अप्रार्थी अधिकवक्ता के द्वारा दिनांक 02.01.2024 को दे दी गई थी, लेकिन दिनांक 29.02.2024 तक प्रार्थीगण के द्वारा मृतक अप्रार्थी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु एवं मियाद माफी हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया जबकि प्रार्थी को अप्रार्थी की मृत्यु की सूचना 02.01.2024 को हो चुकी थी। अप्रार्थी की मृत्यु दिनांक 29.09.2019 को हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को मियाद अवधि पूर्ण होने की इंतजार करने की अपेक्षा चाहिए था कि वे अविलम्ब न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते यदि उन्हें मृतक अप्रार्थी के विधिक वारिसान का ज्ञान नहीं था तो वे इसकी सूचना न्यायालय को देते एवं यथा उचित समय की मांग कर सकते थे, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बार–बार प्रार्थीगण की अनुपस्थिति के कारण अस्वीकार हो चुका हैं। प्र.सं. 166/23 में निष्कर्षतः न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया हैं। प्रार्थीगण की ओर से प्रकरण की कार्यवाही में अनेक स्तर पर अगम्भीरता एवं प्रकरण के प्रति सजग नहीं होने की पुनरावृति की गयी हैं। अतः प्रार्थीगण को बार बार अवसर दिया जाना उचित नहीं है। [illegible] की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है [illegible] प्रावधानों को कठोरता से लागू किया जाना आवश्यक है। [illegible] प्रकरण के परिप्रेक्ष में न्यायालय के [illegible] प्रार्थना पत्र ग्रहण किये जाने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र एडमिशन स्तर पर खारिज किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अवधेश मीना) I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)
जिला कलक्टर अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:51:37 IST
Reason: Self Attested